[illegible] पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। [illegible] अधिकारी
[illegible] दिनांक 14.9.23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी सीकर

14/9/23 पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी
आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार
दिनांक 22.11.23 को पेश हो।

22/11/23 पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी
आज अन्य कार्य [illegible] है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार
दिनांक 30/1/24 को पेश हो। [illegible]

30/1/24 पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी
आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार
दिनांक 13/5/24 को पेश हो।

13/5/24 पत्रावली पेश हुई। अधि. प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थी सं. 1 से 8 की तामिल किसी पर हो चुकी है। वाकपूर्व तामिल उपस्थित नहीं। अतः अप्रार्थी सं. 1 से 8 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की जाती है। बहस अधि. एकपक्षीय सुनी गई। अधि. प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान आवेदन के तथ्यों का दोहराव किया गया है। प्रार्थी अधि. द्वारा बताये गये तथ्यों से संतुष्ट होने पर उभय पक्ष को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि तादौरान दावा विवादित भूमि ख.नं. 5290/5071 रकबा 1.4912 हैक्टर, ख.नं. 5292/5072 रकबा 1.3188 हैक्टर, [illegible] दुर्गापुरा तहसील व जिला सीकर की मौका बरिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सीकर